(24)

(37)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल लिंक कोर्ट रीवा सम्भाग रीवा म.प्र.

R5084-II/16 1— मु. वेवा कलावती पत्नी स्वे. श्री जगदीश प्रसाद पटेल Rs. 201—

2— राजेश पटेल

3— सुरेन्द्र पटेल दोनो के पिता स्वं. श्री जगदीश प्रसाद पटेल

4— रामदास पटेल

5— प्रभुनाथ पटेल दोनो के पिता स्वं श्री वलदेव प्रसाद पटेल सभी निवासी ग्राम रामनगर तहसील चुरहट जिला सीधी म.प्र.

..........................निगराकार गण

बनाम

1— रामवतार पटेल

2— रामरूप पटेल

3— द्वारिका पटेल तीनो के पिता स्वं.श्री गजाधर पटेल सभी निवासी ग्राम रामनगर तहसील चुरहट जिला सीधी म.प्र.

..........................गैरनिगराकार

श्री अन्नपूर्णा शास्त्री ...... द्वारा आज दिनांक 16-2-16 को प्रस्तुत किया गया
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध तहसीलदार महोदय तहसील चुरहट के प्रकरण कमांक 2सी/121/2003—04 आदेश दिनांक 28.12.07

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्न है—

1— यह कि प्रार्थी/निगराकार गण ग्राम रामनगर तहसील चुरहट जिला सीधी म.प्र. के पुरतैनी निवासी है। तथा नये भूमि खसरा नम्बरान 193, 274, 302, 338, 515, 534, 558, 568, 583, 605, 622, 625, 655, 691, 888, 893, 920, 905, 907, 921, 923, 1180, 1383, 1389, 1311, 1729, 1765, 1794, 1881, 1885,1891,1905, 1938, 1941, 1946, 1985, 1951, 1944, 1994, 2002, 2005, 2024, 2134, 2137, कुल किता 44 कुल रकवा 1.57

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5084—दो / 2016 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13—7—2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा जिस आदेश को इस निगरानी में चुनौती दी गई है उसकी प्रमपणित प्रति संलग्न नहीं की है। जहां तक निगरानी मेमो एवं मौखिक तर्कों का प्रश्न है आवेदक द्वारा तहसीलदार चुरहट जिला सीधी के प्रकरण कमांक 2सी / 121 / 2003—04 में पारित नामांतरण आदेश दिनांक 28—12—07 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रकरण आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	